

E-mail

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक—22.10.18

संख्या—9/आ०अरा०उ०—०४—२०/२०१२—३५५४/ श्री विजय कुमार चौरसिया, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, नालन्दा सम्प्रति सेवा निवृत्त जिन्हें जिन्हें निगरानी थाना कांड संख्या—१२२/०७ दिनांक ०२.११.२००७ धारा ७(१३)(२) एवं १३ (१)(३) भ०नि० अधिनियम १९८८ में गिरफतारी के कारण विभागीय आदेश संख्या—४९०० दिनांक १४.११.२००७ द्वारा दिनांक ०२.११.२००७ के प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर उपायुक्त उत्पाद, पटना—सह—मगध प्रमंडल, पटना के कार्यालय में योगदान करने के कारण विभागीय आदेश सं०—५२६४ दिनांक ०२.१२.२००८ द्वारा श्री चौरसिया को तत्कालिक प्रभाव से मुक्त किया गया है।

2. श्री चौरसिया द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर उपायुक्त उत्पाद, पटना—सह—मगध प्रमंडल, पटना के कार्यालय में दिनांक १८.०४.२००८ को योगदान दिया गया था। अतएव विभागीय आदेश सं०—५२६४ दिनांक ०२.१२.२००८ में अंकित निलंबन से मुक्ति की तिथि दिनांक ०२.१२.२००८ के स्थान पर १८.०४.२००८ संशोधित किया जाता है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

१२०१०१८
(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—9/आ०अरा०उ०—०४—२०/२०१२—३५५४/

पटना, दिनांक—22.10.18

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई—गजट कोषांग को (सी०डी० सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

१२०१०१८
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—9/आ०अरा०उ०—०४—२०/२०१२—३५५४/पटना, दिनांक—22.10.18

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ल०० एवं हक०) बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद—सह—निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/राजपत्रित स्थापना, प्रशास्या—५/ई०आई०बी०/आई०टी० मैनेजर एवं श्री विजय कुमार चौरसिया, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, नालन्दा सम्प्रति सेवा निवृत्त, 'संजय सदन' पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, थाना—शास्त्रीनगर, जिला—पटना—२३ को सूचनार्थ प्रेषित।

१२०१०१८
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।